


19.08.25 पत्रावली पेश हुई। वकील-अर्धी या अर्धी स्वंप
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी
उपस्थित नहीं हुए। अतः अर्धी का यह अर्धना पत्र
अदम पेशकी-अदम हाजिरी में इसी स्तर पर
खातिज किया जाता है। पत्रावली बाइ तरतीब
तकमील होकर डाकिल इफतर हो।

निर्णय लिखाया जाकर तुलै न्यापालप में
सुनाया गया।


(सुनीलकुमार-चौहान)
R.A.S.